न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **10 / 2025** अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रभुराम पुत्र अणदाराम 2. रुगाराम पुत्र अणदाराम 3. लाखाराम पुत्र अणदाराम 4. बागाराम पुत्र अणदाराम 5. राजुराम पुत्र अणदाराम 6. गंगाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट, निवासी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. जेठाराम पुत्र टीकमाराम 2. खींयाराम पुत्र पुनमाराम 3. जगदीशकुमार पुत्र नगाराम जाति जाट, निवासी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू 5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31.10.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त का खेत मौजा राजबेरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 890 / 455 रकबा 3.7231 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादीगण के सेढासेढ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 891 / 455, 895 / 455, 892 / 455 रकबा क्रमशः 3.7231, 3.7231, 3.7231 हैक्टेयर के आये हुए है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाई हुई है। उक्त नेखमबंदी पालना रिपोर्ट अनुसार पड़ौसी खसरा नम्बर 891 / 455, 895 / 455, 892 / 455 के खातेदारान द्वारा बिन्दु संख्या 5 से 9 के मध्य की वादीगण की भूमि लगभग रकबा क्रमशः 4.10, 3.10, 2.10 बीघा कुल रकबा 10.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ पाया गया है। अतिक्रमण पाया जाने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने से इंकार कर दिया गया। वर्तमान में प्रतिवादीगण उक्त अवैध अतिक्रमण में अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 890 / 455 के सभी कोनों पर निशानात् लगाये गये, जिसके बिन्दु संख्या 4, 5, 6, 7 के बीच की भूमि पर पड़ौसी खसरा नम्बर 892 / 455 के खातेदार व बिन्दु संख्या 3, 7, 6, 8 के बीच की भूमि पर पड़ौसी खसरा नम्बर 895 / 455 के खातेदार तथा बिन्दु संख्या 6, 8, 2, 9 के बीच की भूमि पर पड़ौसी खसरा नम्बर 891 / 455 के खातेदारान् द्वारा कब्जा किया हुआ होना पाया गया है। वादी संख्या 2 व र[illegible] द्वारा पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 के रूप में वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप [illegible]

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण [illegible] किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 890/455 के सभी कोनों पर निशानात् लगाये गये, जिसके बिन्दु संख्या 4, 5, 6, 7 के बीच की भूमि पर पड़ौसी खसरा नम्बर 892/455 के खातेदार व बिन्दु संख्या 3, 7, 6, 8 के बीच की भूमि पर पड़ौसी खसरा नम्बर 895/455 के खातेदार तथा बिन्दु संख्या 6, 8, 2, 9 के बीच की भूमि पर पड़ौसी खसरा नम्बर 891/455 के खातेदारान् द्वारा कब्जा किया हुआ होना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादी संख्या 2 व स्वतंत्र गवाह द्वारा पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 के रूप में वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपने अपने बयान शपथ पत्र पेश किये गये है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा राजबेरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 890/455 रकबा 3.7231 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 31.10..2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested